**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 274–एक/13 जिला – मुरैना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11.5.15 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 173/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 17–1–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।<br>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम थरा तह. अम्बाह स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 914 रकबा 0.29 आरे के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदक एवं अनावेदक हैं । विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र पेश कर विवादित भूमि का बटवारा चाहा गया । उक्त आवेदन पर से विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 26–5–12 द्वारा पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारा को आधार मानकर बटवारा आदेश पारित किया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक अशोक द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की जो आदेश दिनांक 21–8–12 द्वारा निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं यह निर्देश उभयपक्षों को दिए कि वे यदि बटवारा कराना चाहते हैं तो पृथक से बटवारा आवेदन विचारण न्यायालय में पेश करने हेतु स्वतंत्र हैं । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।<br>3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि पटवारी द्वारा जो फर्द बटवारा पेश किया गया है वह मौके पर कब्जा एवं किस्म को ध्यान में रखकर पेश किया गया था जिसका विधिवत प्रकाशन कराया गया है। प्रकरण में उभयपक्ष उपस्थित | |

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 274–एक/13 जिला – मुरैना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11-5-15 | सिरे से बटवारा आवेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं पक्षकार चाहें तो बटवारे हेतु आवेदन दे सकते हैं । आवेदक ने अनावेदक क. 2 से 4 की भूमि को कय कर लिया गया है इसलिए वे आपत्ति नहीं कर रहे हैं । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।<br>5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण बटवारे का होकर विचारण न्यायालय में पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारे का प्रकाशन बताया गया है और जो आपत्ति हुई है उसे सारहीन होने का उल्लेख करते हुए निरस्त किया गया है और फर्द बटवारे को स्वीकार किया गया है । उक्त आदेश न्यायिक प्रकिया के अनुरूप नहीं है क्योंकि आपत्ति क्या थी और उसे क्योंकर अस्वीकार किया जा रहा है इसका उल्लेख आदेश में नहीं है । न्यायालय का आदेश मुखर व आधार सहित होना चाहिए जो इस प्रकरण में नहीं है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में इन सारी त्रुटियों का उल्लेख करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करते हुए यह निर्देश दिए हैं दोनों पक्ष बटवारा चाहते हैं तो विचारण न्यायालय में आवेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित एवं न्यायिक है और उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।<br>परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–13 स्थिर रखा जाता है ।<br>सदस्य | |

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA FIVE RUPEES

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ....R......... 11/13  R 274-I/13

श्री ...... शर्मा ...... द्वारा आज दि 21-1-13 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अरविन्द पुत्र राधाचरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम थरा तह0 अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

..............................आवेदक

बनाम

1—अशोक पुत्र बांकेलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम थरा तह0 अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

2—रामजीलाल 3—भूखन

पुत्रगण गुलाब

4—इन्द्रपाल पुत्र रामलखन

समस्त जाति कुशवाह निवासी ग्राम थरा तह0 अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

......................अनावेदक

21/1/13

**निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 17/01/2013 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संम्भाग मुरैना के प्र0क0 173/11–12 अपील/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता**

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है—

01— यह कि ग्राम थरा तह0 अम्बाह जिला मुरैना मे स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 914 रकवा 0.29 आरे जिसके अभिलिखित भूमि स्वामी आवेदक व अनावेदक गण पटवारी कागजात में अंकित है ।